

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 86/20 2020 प्र० पत्र

1. श्री वट्टी पुत्र श्री शूरा रेवारी निवासी वरावली का खेड (करेडा)

—प्रार्थी।

सन्

नाम
अह
हुक
ने

1. श्री वीणल पुत्र शूरा रेवारी निवासी वरावली का खेड (करेडा)

विरुद्ध —विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 18/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० भू० राज० अधि० 1956 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वरावली का खेडा पटवार हल्का गोरख्या भू०अ०नि० क्षेत्र गोरख्या में उनके खाता संख्या 87 की आ०नं० 37, 38, 39, 41, 49, 50, 51, 52, 53 0.12, 0.01, 2.15, 0.03, 0.17, 0.06, 0.06, 0.09 स्थित है। प्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा की विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी भादेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29/6/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से गढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की कमी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम वरावली का खेडा पटवार हल्का गोरख्या भू०अ०नि० क्षेत्र गोरख्या में उनके खाता संख्या 87 की आ०नं० 37, 38, 39, 41, 49, 50, 51, 52, 53 0.12, 0.01, 2.15, 0.03, 0.17, 0.06, 0.06, 0.09 स्थित है। इनके चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू०अ०नि० गोरख्या को 650/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर स प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व बजे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल डी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

लंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा (जिला भीलवाडा)

तिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा (जिला भीलवाडा)